


ent. V

737
22/12/10

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	अग्रहायण 12, शुक्रवार, शाके 1932-दिसम्बर 3, 2010 Agrahayana 12, Friday, Saka 1932-December 3, 2010	

भाग 1 (क)
नियुक्तियों, छुट्टियों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियां।
श्रम विभाग
अधिसूचना
जयपुर, नवम्बर 1, 2010

संख्या एफ.13(7)श्रम/विधि/2009:- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम संख्या-27) की धारा-42 की उप-धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निरीक्षक नियुक्त करने की इस विभाग द्वारा पूर्व प्रसारित समसंख्यक अधिसूचना दि. 14-7-2009, जिसका प्रकाशन राजस्थान राज-पत्र विशेषांक दि. 17-9-2009 में हुआ है, निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:-

संशोधन

क्रम संख्या 63 के पश्चात् निम्न विवरण क्रम संख्या 64 पर सम्मिलित किया जाता है-

क्र.सं.	अधिकारी	क्षेत्र जिसके लिये नियुक्त किया गया है।
64	शरमरत लप मुख्य/वरिष्ठ/कारखाना निरीक्षक	उनकी अपनी अधिकारिता के भीतर सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी उपायों के उपबन्ध के लिए

राज्यपाल के आदेश से,
अंजना दीक्षित,
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन उप शासन सचिव।